PUBLIC NOTICE

In compliance of the relevant provisions of the CSERC (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) has filed a Petition (No. 81 of 2024) before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC), for determination of Variable Cost of the 4x300 MW Coal Based Power Project at Village-Risda of Tehsil Korba in Korba District, Chhattisgarh for FYs 2022-23, for the purpose of power supplied to Chhattisgarh State Power Trading Company Limited and Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited under the Power Purchase Agreement (PPA) dated 19.01.2015.

Based on the norms of operation, BALCO has requested the Hon'ble CSERC to allow an amount of 421.00 paisa/ kWh, being energy charges in FYs 2022-23 on a provisional basis, for supply of power to Chhattisgarh State Power Trading Company Limited and Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited statutory charges, duties and taxes based on actual incurred basis, interest on working capital, actual filing and publication fees and other related charges/variable charges as may be applicable from time to time subject to any other submissions made by BALCO before the Commission.

Tariff petition and related documents are available on company's website www.balcoindia.com and Commission's website www.cserc.gov.in.

Objections / suggestions on the aforesaid petition may be submitted to the Head, Power Sales, Administration Building, 3rd Floor, BALCO Nagar, Korba (Chhattisgarh)-495684 and to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, within 21 days of publication of this notice. Advance copies of objection/suggestion/view may be sent through post / courier to BALCO and Hon'ble CSERC at above mentioned address. Notice for hearing on aforesaid Petition may be published by Hon'ble CSERC in the newspaper separately.

Head, Power Sales

आमसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् नियामक आयोग के छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ के सिधान्तो के अनुरूप टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्यति और प्रक्रिया) विनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव रिसदा द्वारा कोरबा में स्थापित 4x300 MW कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादन केंद्र हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परिवर्तनीय लागत (वेरिएबल कॉस्ट) के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका (क्रमांक 81/2024) प्रस्तुत की गयी है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को विद्युत खरीद समझौते ;पीपीएद्ध दिनांक 19.01.2015 के तहत बिजली आपूर्ति के उद्देश्य हेतु ः

भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने सञ्चालन हेतु मानदंडों के अनुसार आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को 2022-23 में 421.00 पैसे प्रति kWh पर विद्युत् आपूर्ति,वास्तविक आधार पर दिया गया, कर और यथा प्रयोज्य ड्यूटी आदि, कार्यशील पूँजी पर ब्याज, आवेदन दाखिल करने का वास्तविक शुल्क एवं प्रकाशन व्यय एवं वेरिएबल कॉस्ट के अन्य यथा प्रयोज्य घटक की अनुमति लेने हेतु ये याचिका दाखिल की है। यह विद्युत् दर बालको द्वारा आयोग के समक्ष की गयी किसी भी अतिरिक्त प्रस्तुति के आधीन है।

उपरोक्त याचिका प्रति कंपनी की वेबसाइट www.balcoindia.com एवं आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.inपर भी उपलब्ध रहेगी।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव / आपत्ति, इस आमसूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर विद्युत् विक्रय, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, तृतीय मंजिल, बालको नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़– 495684 एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् नियामक आयोग, के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। सुझाव/आपत्तियों/दृष्टिकोण की अग्रिम प्रति भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को एवं आयोग को उपरोक्त पते पर भेजी जा सकती है। जन सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकती है।

विद्युत् विक्रय,भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड